

सं

24/6/2024 पत्रा. पेठा हुई। बकु. उपा. बहल हुआ जा चुकी है। पार्श्व वकील का कहना है कि आराजी खलरा नम्बर 287, 288 बकि ग्राम मिल्कीपुरा में स्थित है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073-2076 में पार्श्व का नाम रत्नीराम के स्थान रनधीर गलत अंकित हो गया है। पार्श्व उक्त गलत नाम को शुद्ध करवाना चाहता है। मुलाबिक नदवीलदार, नदवी की रिपोर्ट रत्नीराम एवं रनधीर नाम से रखी एक ही व्यक्ति है। अतः पार्श्व का नाम रत्नीराम शुद्ध किये जाने की कृपा करें।

हमने बहल के द्वारा रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि रत्नीराम एवं रनधीर मुलाबिक नदवीलदार रिपोर्ट एक ही व्यक्ति है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में पार्श्व का नाम रनधीर है। जो गलत अंकित है। अतः पार्श्व का पार्श्वना-पत्र स्वीकार किया जाकर पार्श्व का नाम रनधीर के स्थान पर रत्नीराम अंकित किया जाकर पार्श्वना-पत्र प्रिंसल शुभाह होकर दाखिल होगा।

उपरोक्त अधिकारी  
नदवीलदार भारतपुर।